(वाद सं0.-4938/18)

05.08.2020

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, संतोष पासवान, पिता–स्व0 राम स्वरूप पासवान, थाना–धोरैया, जिला–बांका द्वारा भा0द0वि0 की घाराओं 147/148/149/341/323/324/335/307/379/379/504/506/के अंतर्गत घोरैया थाना कांड सं0 57/18, दिनांक–24.03.2020 से संबधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बांका से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। पुलिस अधीक्षक, बांका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "परिवादी के द्वारा करीब 30 बर्ष पूर्व अर्जुन यादव, जिला बांका एवं उनके भाई से 04 कठ्ठा 01 धुर जमीन खरीदा गया था । परिवादी द्वारा धटना के समय अपने उसी जमीन पर ईटा बनाया जा रहा था, जिसे द्वितीय पक्ष के मेहीलाल पासवान एवं अन्य के द्वारा यह कहते हुए मना किया गया कि आप मेरे खेत का डाड़ कॉट रहे हो। इसी बात को लेकर दोनो पक्षों में मारपीट की धटना हो गयी और दोनो पक्षों द्वारा एक ही मामलें के लिए घोरैया थाना में कांड संख्या–57/18, दिनांक 24.03.2020 एवं 56/18 दिनांक 24.03.2020 दर्ज कराया गया है।" पुलिस अधीक्षक, बांका द्वार यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में दोनो पक्ष के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है तथा दोनों पक्ष सामान्य रूप से रह रहे है।

उक्त दोनों कांडो में अनुसंधानोंपरान्त आरोप–पत्र **147/18, दिनांक 30.07.2018** एवं **234/18 दिनांक 12.12.2018** न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। वर्तमान में उपरोक्त दोनों मामलें **न्यायालय में विचाराधीन** है।

अतः जब कोई मामला न्यायालय मे विचारण हेतु लंबित हो तो ऐसी परिस्थिति मे आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले पर कोई आदेश या निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

पुलिस अधीक्षक, बांका के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **परिवादी** को **पुलिस अधीक्षक, बांका** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक